न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 38/2018

अपीलांट

1. श्रीमति होजी देवी बेवा छोगाजी उम्र 84 वर्ष
2. हीरालाल पुत्र छोगाजी उम्र 48 वर्ष
3. कालूराम पुत्र छोगाजी उम्र 45 वर्ष
4. श्रीमति लेहरी देवी बेवा औटाजी उम्र 68 वर्ष
5. दीपाराम पुत्र ओटाजी उम्र 47 वर्ष
6. भेराराम पुत्र ओटाजी उम्र 47 वर्ष
7. लक्ष्मण पुत्र ओटाजी उम्र 34 वर्ष समस्त जातियान सुथार निवासीगण जसवंतपुरा जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. फुलाराम उर्फ फुसाराम पुत्र स्व. वालाजी
2. बगदाराम उर्फ बगाराम पुत्र स्व. वालाजी जातियान सुथार निवासीगण जसवंतपुरा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
3. श्रीमान तहसीलदार साहब (अतिरिक्त चार्ज सबरजिस्ट्रार साहब) जसवंतपुरा, जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20/02/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जसवंतपुरा मुख्यालय भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 82/2014 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जसवंतपुरा के खसरा नंबर 103, 104, 105, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 रकबा क्रमशः 0.60 हैक्टर, 0.55 हैक्टर, 0.71 हैक्टर, 0.90 हैक्टर, 0.69 हैक्टेर, 0.89 हैक्टर, 0.08 हैक्टर, 0.09 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.51 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.11 हैक्टर एवं 0.54 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, साथ ही अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता वाला खुमा पुत्र ओखाजी के गोद चले जाने से उनका पुश्तैनी संपति में अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है, उसके बावजूद भूताजी की संपति में वाला व उनके पुत्रो का नाम प्रथम दृष्टया गैर कानूनी तौर पर दर्ज किया गया, जबकि खुमा की संपति भी वाला एवं उसके पुत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त रिसेटलमेंट के दौरान जो पर्चा लगान जारी किया है उसमे गलत तौर पर दाला, वाला पिसरान भूता का नाम दर्ज किया गया है वस्तुतः वाला को मना के नाम से भी पुकारते थे, इस कारण खुमा का नाम पूर्व खसरा नंबर 333, 331 व 332 में दर्ज है तथा इसी क्रम म्यूटेशन संख्या 127 भरा गया है, जिसमे भी मना उर्फ वाला पुत्र खुमा का नाम दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में दिनांक 31.10.1996 के निर्णय का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, किन्तु अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट तौर पर पेज संख्या 2 पर राजीनामा पेश करने का उल्लेख किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.1996 को जो आदेश पारित किया है उसमे यह हवाला देते हुए वाद खारिज किया कि रजिर्स्टड गोदनामा की प्रति पेश नहीं की गई है। किन्तु उक्त वाद में प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट की तरफ से भाट की बही में किया गया गोदनामे का इन्द्राज जो संवत 2026 मे पेश किया गया है, इसके अतिरिक्त पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद संख्या 35/94 से जो राजीनामा पेश हो चुका है तो पक्षकार उससे मुकर्रर भी नहीं हो सकते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प में जैर अपील आदेश पारित किया है, जबकि लोक अदालत का उदेश्य पक्षकारान के मध्य राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण करने का होता है न कि गुणवागुण अथवा एवं एकपक्षीय निर्णय पारित करने का होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में लोक अदालत कैम्प में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

जैर अपील आदेश को अपास्त फरमाते हुए वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जसवंतपुरा के खसरा नंबर 103, 104, 105, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 रकबा क्रमशः 0.60 हैक्टर, 0.55 हैक्टर, 0.71 हैक्टर, 0.90 हैक्टर, 0.69 हैक्टेर, 0.89 हैक्टर, 0.08 हैक्टर, 0.09 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.51 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.11 हैक्टर एवं 0.54 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, साथ ही अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट के पूर्वज क्रमशः स्व. छोगा तथा स्व. ओटा ने वर्तमान रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इसी विषय वस्तु का इसी अनुतोष का वाद संख्या 35/94 छोगा वगैरा बनाम फूला वगैरा प्रस्तुत किया, जो गुणवागुण के आधार पर दिनाक 31.10.1996 को खारिज किया जा चुका है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील समक्ष न्यायालय के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे अपीलांटगण ऐस्टोप्ड है। अपीलाटगण ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है एवं कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत शामलाती खातेदारी के दावे में सभी सहखातेदार को पक्षकार बनाना आवश्यक है एवं वादग्रस्त आराजी में कुल 49 सहखातेदार है, जिससे सभी खातेदारो का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, किन्तु उक्त खातेदारो का पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे मूल दावा चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार रेस्पोडेन्ट का कब्जा है एवं राजस्व रेकर्ड मे रेस्पोडेन्ट बतौर खातेदार दर्ज है। प्रकरण मे सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। रेस्पोडेन्टगण को अपने रेकर्डेड हिस्से का उपयोग–उपभोग करने का पूर्णतया अधिकार है, जिसे प्रतिबंधित किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समसत तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जसवंतपुरा के खसरा नंबर 103, 104, 105, 106, 121, 122, 123, 124, 125,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालौर

126, 127, 128, 129 रकबा क्रमशः 0.60 हैक्टर, 0.55 हैक्टर, 0.71 हैक्टर, 0.90 हैक्टर, 0.69 हैक्टेर, 0.89 हैक्टर, 0.08 हैक्टर, 0.09 हैक्टर, 0.59 हैक्टर, 0.51 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.11 हैक्टर एवं 0.54 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, साथ ही अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रेकर्डे खातेदार है। अब प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है ? हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रश्न यह उठता है कि क्या रेकर्डेड खातेदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध **2013(2) RRT Page 828 Rameshi vs. Kajod & ors** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- temporary Injunction application rejected & affirmed by the appellate Court-Land not recorded in the Khatedari of the plaintiff- No. T.I. can be granted against the recorded khatedar- Possession of non-petitioners no. 3 & 4 would be treated after the death of "B"- Petitioner failed to prove possession- objection raised can only be decided during trail- Concurrent judgments- Held, No illegality or perversity in the order. **2012(2) RRT Pg. No. 1439 Pooran Chand & ors. V/s. Gopal Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Trail court restrained both the parties but RAA Dismissed the application of the petitioners – Land recorded on Khatedari of GP – No Revenue entry in favour of the petitioners – Khatedari of "GP" is based in the registered sale deed Appellate court not found the Prima facie case in favour of the petitioner "KP" & ors. – Concurrent finding regarding Khatedari & possession – No T.I. can be granted against the recorded Khatedar holding possession – Held, R.A.A. has not committed any illegality or jurisdictional error.(Para"s 7,8). **2009(2) RRT Pg. No. 1327 Nannu Ram (Dead) through L.Rs. V/s.Jorlam & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction RAA st aside the order – Revision – suit for declaration on the basis of adverse possession – Petitioner admitted that non-petitioners are recorded Khatedar- Both the parties are claiming

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

possession & their question cannot be decided as this stage – Held, no error in the order & upheld. (Para"s 5,7). **RRT 2013(1) Pg. No. 133 Kalu & ors. V/s. Jagdish Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- RAA set aside the order of granting TI – Non-petitioner purchase the land from the recorded Khatedar of the land by regd. Sale deed- Petitioners are required to prove their case by producing evidence – Prima facie case in favour of the non- petitioners – Held, No Jurisdictional error in the order. (Para"s 7,8). हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने हाजा न्यायालय के समक्ष पूर्व वाद संख्या 35/94 के निर्णय की प्रति मय आदेशिका प्रस्तुत की है जिसके अनुसार अपीलांट के पूर्वज क्रमशः स्व. छोगा तथा स्व. ओटा ने वर्तमान रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इसी विषय वस्तु का इसी अनुतोष का वाद संख्या 35/94 छोगा वगैरा बनाम फूला वगैरा प्रस्तुत किया, जो गुणवागुण के आधार पर दिनाक 31.10.1996 को खारिज किया जा चुका है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील समक्ष न्यायालय के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है एवं न ही इस संबध में कोई दस्तावेज अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर जसवंतपुरा मुख्यालय भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 82/2014 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर